



## उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

सर्विस भवन, रियल, 14-अहोक भवन, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:-4858-औस/2015-11(1)ए०एस०/109(14)

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2015

**विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय की दिनांक 30.06.2016 तक मान्यता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

### कार्यालय झाप

कारपोरेशन के कार्यालय झाप संख्या-163-औस/2015-11(1)ए०एस०/09(14) दिनांक 14.01.2015 एवं संख्या-1176-औस/2015-11(1)ए०एस०/09(14) दिनांक 16.04.2015 के अनुकम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गाँधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली, फोन नं०-0581-2545400, 2543660 की मान्यता कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन पूर्व निरन्तरता के साथ दिनांक 01.10.2015 से 30.06.2016 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

NCL  
....2....

संख्या:-4858-(1) औस / 2015-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त), (वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि�0, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वांचल, वाराणसी / पश्चिमांचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग / जॉच समिति-प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि�0।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अस्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0) / समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वितन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को। कृपया कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. प्रबन्धक, धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गाँधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।
14. मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली।
15. सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि�0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. कट फाइल।

*Not Made  
17.12.15  
(नवनीत माथुर)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी*